



Neutral Citation No - 2026:AHC:24642

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4080

राम नारायण

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम जनम शाही

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी को सूचना जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हों, तो आदेश के उपांतरण/परिवर्तन की प्रार्थना करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित मूल अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, जहानागंज, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ को यह निर्देशित किया जाए कि वे वाद

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 12/186 (नवीन संख्या 289/2025) (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202515060100289) में दाखिल किए गए पुनर्स्थापन आवेदन दिनांकित 16.04.2018 को शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करें।

4. प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दीर्घ काल से लंबित है और पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज पर्यन्त प्रकरण में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, जहानागंज, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ उपर्युक्त वाद में दाखिल पुनर्स्थापन आवेदन को विधि के अनुसार **कड़ाई से, शीघ्रातिशीघ्र तथा अधिमानतः प्रतिवादी संख्या-- के समक्ष प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह** की अवधि के भीतर, अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बगैर, विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"